Increasing the Cases of Crime Against Women

Un-Starred Question No. 102 Diary No. 14/18/302 Sh. Jagbir Singh Malik (Gohana): Will the Home Minister be pleased to state whether the rate of the Crime Against Women i.e. Murder, Kidnapping, Dowry Death, etc. have been increased or decreased in State since April, 2020 upto 31.01.2021; if so, the details thereof ?

Reply: **Shri Anil Vij, Home Minister, Haryana.**

Sir, a statement is placed on the Table of the House.

Statement of Sh. Anil Vij, Home Minister in reply to Un-Starred Question 102 Diary No. 14/18/302.

Sir,

The State Police has been sensitized to encourage women to come forward and report crime against them. As a result, women are feeling emboldened and are coming forward to report incidents related to atrocities/crime against them. The existence of 33 Women Police Stations in the State and 239 Women Help Desk has also contributed to more women coming forward to report crimes against them. Free and fair registration has been ensured.

Comparative crime rate under various heads of Crime Against Women from 1st April, 2020 upto 31st January, 2021 is tabulated below:-

Sr.No.	**Period from**	**Murder**	**Crime Rate**	**Kidnapping**	**Crime Rate**	**Dowry Death**	**Crime Rate**
1	April 2019 to January 2020	241	0.84	2286	7.94	238	0.83
2	April 2020 to January 2021	252	0.86	1886	6.46	219	0.75

The Crime Rate during April-2020 to January-2021 has increased by 0.02 in murder cases and decreased in both Kidnapping and Dowry cases by 1.48 and 0.08 respectively over the period of April-2019 to January-2020.

* Crime Rate means number of cases per lakh population.

<u>हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं</u>

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 102 डायरी क्रमांक 14/18/302 श्री. जगबीर सिंह मलिक (गोहाना):-

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, **2020 से 31.01.2021** तक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध यानी हत्या, अपहरण, दहेज हत्या आदि की दर में वृद्धि हुई है या कमी आई है; यदि हां, तो सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

उत्तर: श्री अनिल विज, गृह मंत्री, हरियाणा।

महोदय, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री अनिल विज, गृह मंत्री, का बयान अतारांकित प्रश्न संख्या 102 डायरी क्रमांक **14/18/302** के उत्तर में।

महोदय,

राज्य पुलिस द्वारा महिलाओं को उनके विरुद्ध हुए अपराधों के खिलाफ आगे आने और रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने बारे संवेदनशील बनाया गया है। इसके परिणामस्वरूप, महिलाएं खुद को प्रोत्साहित महसूस कर रही हैं और उनके विरुद्ध अत्याचार/अपराध से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आगे आ रही हैं । महिलाओं का उनके विरुद्ध हुए अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए आगे आने में राज्य में स्थापित 33 महिला पुलिस थानों और 239 महिला सहायता कक्षों का भी बहुत अधिक योगदान है। जिससे नि:शुल्क एवं निष्पक्ष पंजीकरण होना सुनिश्चित किया गया है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत तुलनात्मक अपराध दर, 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरीए 2021 तक का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	**अपराध की अवधि**	**हत्या**	**अपराध दर**	**अपहरण**	**अपराध दर**	**दहेज के लिए हत्या**	**अपराध दर**
1	अप्रैल 2019 से जनवरी 2020	241	0.84	2286	7.94	238	0.83
2	अप्रैल 2020 से जनवरी 2021	252	0.86	1886	6.46	219	0.75

अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के दौरान अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 की अवधि की तुलना में हत्या की अपराध दर में 0.02 की वृद्धि हुई है और अपहरण व दहेज के लिए हत्या दोनों मामलों में क्रमशः 1.48 और 0.08 की कमी आई है ।

***अपराध दर का अर्थ प्रति लाख जनसंख्या पर मामलों की संख्या है ।**